राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान खारिया कनीराम

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 130/2025
निर्णय दिनांक : 08.07.2025
दायर दिनांक – 08.07.2025
GCMS 2025/242

1. दामोदर लाल पुत्र बालूराम जाति नायक निवासी ग्राम खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान खारिया कनीराम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 31 के खसरा संख्या 121 तादादी 1.6565 है0 व खसरा नम्बर 163 तादादी 1.7070 है0 प्रार्थी के पिता की खातेदारी में 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी के पिता का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में बलदेव पुत्र जुवाला दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम बालूराम पुत्र ज्वालाराम है। अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी के पिता का सही नाम बालूराम पुत्र ज्वालाराम ही अंकित है। प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि उसके पिता को बलदेव पुत्र जुवाला व बालूराम पुत्र ज्वालाराम के नाम से जाना जाता है तथा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रश्नगत खेत रोही खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का सही नाम बालुराम पुत्र ज्वालाराम अंकित है जबकि जमाबन्दी में बलदेव पुत्र जुवाला अंकित है जो अशुद्ध है। बलदेव पुत्र जुवाला एवं बालुराम पुत्र ज्वालाराम एक ही व्यक्ति के नाम है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बलदेव पुत्र जुवाला की बजाय बालूराम पुत्र ज्वालाराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम बालूराम पुत्र ज्वालाराम अंकित है। अतः मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–ःआदेशः–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या नया 31 के खसरा संख्या 121 तादादी 1.6565 है0 व खसरा नम्बर 163 तादादी 1.7070 है0 में दर्ज खातेदार का नाम बलदेव पुत्र जुवाला के स्थान पर बालूराम पुत्र ज्वालाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान खारिया कनीराम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजा. सुजानगढ़